

प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मनोसामाजिक विकास : सीतापुर जनपद के परिषदीय विद्यालयों का एक अध्ययन

मुरली धर सिंह

शोधार्थी

पी-एच.डी. शोधछात्र

शिक्षा संकाय

ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

डॉ. वी. के. शर्मा

प्रोफेसर – शिक्षा संकाय

ग्लोकल विश्वविद्यालय, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

सारांश

शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली विकास की प्रक्रिया है। बालक की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक एवं प्रगतिशील विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में शिक्षा क्षेत्र में बालक निष्क्रिय स्रोत मात्र ही नहीं समझा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक का कर्तव्य है कि वह बालक को सक्रिय बनाकर उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों, योग्यताओं, रुचियों एवं रुझान का अध्ययन करे और उसकी क्षमताओं के अनुरूप उसे शिक्षा प्रदान कर सके। वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए पूर्व शिक्षा का स्वरूप केवल सूचना प्रदान करना था। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाने का प्रयास किया गया और शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रयोग पर बल दिया। प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा के मनो-सामाजिक विकास विद्यार्थियों के मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के चयनित विकास खण्डों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का समावेशन किया गया है।

प्रस्तावना—शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, तभी तो सरकार ने 6-14 वर्ग तक के बच्चों के लिये शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दिया है। यदि हम समाज को विकसित रूप में देखना चाहते हैं तो हमें शिक्षित समाज की कल्पना को साकार करना होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना अत्यन्त आवश्यक है। हम सभी भारतीयों को शिक्षा पाने का अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है, इसलिए कहा गया है कि शिक्षा सभी के लिए है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और

विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, तथा यह किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश की प्रगति को निर्णायक दिशा देती है। गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा ही देश के विकास को वांछित गति एवं दिशा दी जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो सतत् परिवर्तनशील समाज की वैविध्यपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। शिक्षा के विभिन्न स्तर को बढ़ाने एवं उच्चिकृत करने में सबके सहयोग की आवश्यकता होती है जिसमें माता पिता, सगे सम्बन्धी, समाज एवं अध्यापकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।

वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति लाने का श्रेय मनोविज्ञान को है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए पूर्व शिक्षा का स्वरूप केवल सूचना प्रदान करना था। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा को बाल केन्द्रित बनाने का प्रयास किया गया और शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षाशास्त्रियों ने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के प्रयोग पर बल दिया। आज शिक्षा का अर्थ बालक को केवल सूचना प्रदान करना ही नहीं समझा जाता। शिक्षक को विद्यार्थी के मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वह उसे जो कुछ भी सिखाने का प्रयास करेगा उसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिक्षाशास्त्री जान एडम्स ने कहा कि "शिक्षण कि क्रियाओं में दो कर्म होते हैं एक व्यक्ति का और दूसरा वस्तु का।" मनोविज्ञान यह बताता है कि बालक का मस्तिष्क कोरी पटिया नहीं है कि उस पर जो चाहे लिख दिया। बालक का विकास उसकी जन्मजात विशेषताओं, प्रवृत्तियों और रुचियों के अनुसार होता है। अतः इन बातों का ज्ञान प्राप्त करके ही उसके सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षक को शिक्षार्थी के मूल आधारों, प्रकृति, मानसिक स्तर, रुचियो, बौद्धिक योग्यताओं, व्यक्तित्व एवं उसकी आवश्यकताओं आदि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा और मनोविज्ञान के घनिष्ठ सम्बन्ध का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा-मनोविज्ञान का मुख्य सम्बन्ध शिक्षण-अधिगम तथा उससे सम्बन्धित परिस्थिति एवं परिणाम से है। मनोविज्ञान के सभी अंग शिक्षा के अंगों को प्रभावित करते हैं। वस्तुतः शिक्षा और मनोविज्ञान के अध्ययनों, शोधों तथा कार्यों के पारस्परिक समागम से निर्मित शिक्षा-मनोविज्ञान का अध्ययन, शिक्षा से सम्बन्धित अनेक समस्याओं का हल, मनोविज्ञान के अध्ययन पर आधारित होता है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सामाजिक विकास करना है। इसलिए शिक्षा को सविचार तथा सप्रयोजन क्रिया कहा गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन होता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही बालक का सामाजिक विकास या सामाजिक विकास किया जा सकता है। इसके लिए घर में माता पिता तथा अन्य सदस्य और

विद्यालय में शिक्षक अपने अध्ययन तथा विद्यालय की अन्य पाठ्य विद्यान्तर क्रियाओं द्वारा बालक के सामाजिक एवं मानसिक भावनाओं का विकास करने में सहायता करता है।

प्राथमिक शिक्षा के इन्ही मूलभूत उद्देश्यों को समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा को सभी नागरिकों को अनिवार्य व निःशुल्क देने के लिए संविधान के चौथे भाग—नीति निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनु0—45 में संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत स्थान दिया। इसके अन्तर्गत राज्यों को निर्देशित किया गया कि राज्य अपनी नीतियों में 6 से 14 के आयु वर्ग के बालकों की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क बनाते हुए इसे संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अन्दर पूरा करेंगे। वर्ष 2000 हमारी संसद के द्वारा पारित 86 वें संविधान संसोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मूल अधिकार घोषित किया गया है। प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी विद्यालयों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ भारत सरकार के सहयोग से सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने हेतु मिशन के रूप में किया गया। इस मिशन को शुरू में राज्य सरकारों के साथ मिलकर 2010 तक 6—14 वर्ष तक के बच्चों को समुचित शिक्षा प्रदान करने हेतु किया गया।

सरकार ने शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले माता—पिता / अभिभावकों के महत्व पर जोर दिया है। इसलिए, यह आवश्यक है कि माता—पिता / अभिभावकों को बच्चे के अध्ययन की भूमिकाओं और कार्यों का स्पष्ट परिसीमन प्रदान किया जाए। छात्रों, शैक्षिक प्रेरणा और उपलब्धियों के संबंध में शिक्षा के महत्व में माता—पिता का दृष्टिकोण एक जटिल मामला है। बच्चे की स्कूल उपस्थिति और बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि निर्धारित करने में बच्चे की शिक्षा के प्रति माता—पिता का सकारात्मक रवैया महत्वपूर्ण है। स्कूली शिक्षा और शिक्षा के प्रति अनुकूल रवैया बच्चों के वर्तमान और भविष्य के अध्ययन में माता—पिता की भागीदारी को बढ़ाता है। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील रवैया कम सामाजिक—आर्थिक स्थिति से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है और चूंकि आदिवासी वंचित बच्चों की शिक्षा स्कूल, समाज और परिवार में विशेषकर आदिवासी बच्चों के लिए कई कारकों से प्रभावित होती है। स्कूल की भागीदारी के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी तीन कारक सकारात्मक होने चाहिए या कम से कम एक या दो कारक दृढ़ता से अनुकूल होने चाहिए। विकसित और विकासशील देशों में, सामाजिक—आर्थिक संसाधनों वाले परिवारों के बच्चों को स्कूल में अधिक बार नामांकित किया जाता है। अमीर परिवारों के लिए, शिक्षा से जुड़ी प्रत्यक्ष लागत, जैसे कि फीस, किताबें और यूनीफॉर्म एक बाधा होने की संभावना कम है। बच्चों की अवसर लागत घर पर, परिवार के खेत में या बाल श्रम के माध्यम से

अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम नहीं होने के कारण, उनके लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। माता-पिता का रवैया पैतृक भागीदारी का एक उपाय या सूचकांक है। एक बच्चा, जिसे कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण में स्नेह और देखभाल के साथ लाया जाता है, वह दृश्यमान दुनिया के साथ बेहतर सामना करने में सक्षम होगा। इसलिए, परिवार एक औपचारिक स्कूल की तुलना में बच्चे के सामाजिक एकीकरण को आकार देता है।

साहित्य का पुनरावलोकन : किसी भी शोध कार्य के प्रारम्भ करने से पूर्व शोध समस्या से सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन की आवश्यकता होती है। इस जानकारी की भली-भाँति पुष्टि के लिए व्यवहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक तथा पूर्व में हुए शोध कार्यों के साहित्य की समीक्षा करनी होती है। **मेंहदी, एस0 (1979)** के अध्ययन में प्राप्त परिणामों के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष में कहा गया कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला की समुचित सुविधा व्यवस्था पायी गयी। विद्यालय में शिक्षण के समय अध्यापकों के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता था, जबकि महानगर पालिका द्वारा संचालित अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में इन सुविधाओं का अभाव था तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से निम्न स्तर की थी। इसमें यह भी पाया गया कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि महानगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों से उच्च स्तर की थी। **गुप्ता, एस0 पी0 –(1980)** ने 6–14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों अनामांकन, अनुपस्थिति और ड्रापट की स्थिति एवं कारण का अध्ययन किया। इस अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष प्राप्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनामांकन अधिक परन्तु शहरी क्षेत्रों में अनामांकन से कम था। विद्यालय की सुविधाओं और शिक्षकों की संख्या का अनामांकन की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं था। **कपाड़िया, के0 पी0 (1984)** ने स्वतंत्रता के पश्चात (1947–1950) गुजरात राज्य के प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन किया और निष्कर्ष प्राप्त किया कि गुजरात में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति प्रशंसनीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गुजरात में अन्तिम तीन दशकों प्राथमिक विद्यालयों एवं विद्यार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। **बुच, एम0 बी0 (1988)** ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पारिवारिक दशा, उनकी आवश्यकता तथा स्कूल जाने की प्रेरणा, बच्चों का सम्बन्धीय ज्ञान, बच्चों की गणित तथा गुजराती में योग्यता जानने के उद्देश्य से अध्ययन किया गया और निष्कर्ष प्राप्त किया कि शैक्षिक प्रेरणा के अलावा सभी चरों का माध्य अन्तर विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों का सांख्यिकीय दृष्टि से असंगत पाया गया। **गोविन्द तथा वर्गीस (1991)** ने भारत की बेसिक शिक्षा सुविधाओं की गुणवत्ता का अध्ययन किया। इस शोध का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में

दी जाने वाली सुविधाओं और स्थानीय पर्यावरण के स्तर का मूल्यांकन करना तथा विद्यालयी शिक्षा के परिणामों के उपलब्धि और सीखने वालों का स्तर (प्राथमिक कक्षाओं) को मापना था। इस शोध के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष में यह परिणाम निकला कि – विद्यालय द्वारा उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं और सीखने वालों की उपलब्धि ने विद्यालयी गुणवत्ता स्तर को प्रभावित किया।

पुष्पा, रश्मि (1997) ने प्राथमिक स्तर के कक्षा पाँच के विद्यार्थियों के माता-पिता की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में विद्यार्थियों की हिन्दी भाषा व गणित में शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन लखनऊ विश्वविद्यालय में एम0 एड0 पाठ्यक्रम में लघु शोध “प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में अध्ययन” किया। इस अध्ययन के लिए शोधकर्त्री ने सीतापुर शहर के प्राथमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों का न्यायदर्श लिया, जिसमें छात्र-छात्राओं दोनों ने अध्ययन किया। **बोरा, सुनीता रानी (2000)** ने शोध हेतु

सीतापुर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के 4-4 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया तथा इन विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु चुना। अध्ययन के प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि शिक्षण अधिगम सामग्री बच्चों को बहुत आकर्षित करती है तथा बच्चों में सुनने व बोलने की क्षमता विकसित करती है। **शिखा (2002)** ने सीतापुर के प्राथमिक विद्यार्थियों के अकादमिक उपलब्धि तथा शैक्षिक साधनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अपने अध्ययन हेतु शोधकर्त्री ने सीतापुर शहर के सरकारी व निजी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा पाँच के विद्यार्थियों का अपने अध्ययन हेतु चयन किया तथा परिणामों व निष्कर्षों को प्राप्त करने में प्रेक्षण विधि का प्रयोग किया। **कटियार, प्रीति (2005)** ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने एम0 एड0 पाठ्यक्रम के लघु शोध में “प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के पठन कौशल, लेखन कौशल तथा गणित विषय में गणितीय कौशल का अध्ययन” किया। अपने निष्कर्ष में शोधकर्त्री ने पाया कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के अधिकांश विद्यार्थियों के हिन्दी भाषा में पठन कौशल का स्तर निम्न है एवं हिन्दी की अपेक्षा अंग्रेजी में निम्नतर है। इन विद्यार्थियों में शब्द ज्ञान भी कम है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों का दोनों भाषाओं में लेखन कौशल निम्नस्तर का है। इसी प्रकार कौशल सामान्य स्तर का है एवं गणित के प्रत्ययों के ज्ञान कम है।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध के सर्वेक्षण कार्य के लिए सीतापुर जनपद के परिषदीय विद्यालयों का चयन किया गया है। अध्ययन में 250 विद्यार्थियों रेण्डम पद्धति से चयन किया गया है। प्रस्तुत शोध अनुसंधान प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है, परन्तु प्रतिदर्श चयन हेतु द्वितीयक आंकड़ों का भी सहयोग लिया गया है। जनपद से, पांच विकास खंडों यथा एलिया, तथागोन्दलामऊ, खैराबाद, सिधौली एवं मिश्रीख का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित विकास खंड में, 2 प्राथमिक विद्यालयों को चयन करने के लिए लक्षित किया गया। प्रत्येक चयनित स्कूल में, 25 छात्रों को अध्ययन के नमूने में चयन करने के लिए लक्षित किया गया है। छात्रों को क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए रेण्डम पद्धति से चुना गया है। प्रस्तुत शोध में आकड़ों को एकत्र करने के लिए दो प्रश्नावली का निर्माण

किया गया है। क्षेत्र से एकत्र की गयी सामग्री का विशेष पैकेज पर सूचीकरण किया गया है तथा उससे निकाली गयी सारणी का विश्लेषण किया गया है, और उसके परिणामों को रिपोर्ट कि कोई भी पहलू वंचित न रह जाय।

विद्यार्थियों का मनो-सामाजिक विकास—विद्यार्थियों का मनो-सामाजिक विकास परिवार तथा विद्यालय का परिवेश, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्य, शैक्षणिक गुणवत्ता, समावेशी शैक्षणिक अवसंरचना तथा अध्यापकों के व्यवहार आदि से प्रभावित होता है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अपेक्षाकृत पिछड़े तथा निम्न सामाजिक वर्ग के विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक नामांकित होते हैं। अतः सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश, विद्यालय का परिवेश, विद्यालय से सम्बन्धित सुविधाएं, अध्यापन आदि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार शिक्षा तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण विद्यार्थियों के मनो-सामाजिक विकास और समावेशी शिक्षा को प्रभावित करता है। उपरोक्त अध्याय में विद्यार्थियों का मनो-सामाजिक विकास तथा अध्यापकों का शिक्षा तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण का विश्लेषण किया गया है।

लगभग तीन चौथाई विद्यार्थियों का मानसिक बुद्धि स्तर उत्तम तथा उत्कृष्ट पाया गया जबकि *मिश्रीख* विकास खण्ड में लगभग 62 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानसिक बुद्धि स्तर सन्तोषजनक व असन्तोषजनक पाया गया। काई वर्ग का मान 93.78 पाया गया जो विद्यार्थियों के मानसिक बुद्धि स्तर के महत्व को दर्शाता है। लगभग आधे से अधिक विद्यार्थियों का गणित विषय में मानसिक बुद्धि स्तर उत्तम पाया गया। यह अनुपात अपेक्षाकृत *मिश्रीख*, *गोन्दलामऊ* विकास खण्ड में अधिक पाया गया। *सिधौली* विकास खण्ड के लगभग दो तिहाई विद्यार्थियों का गणित विषय में मानसिक बुद्धि स्तर सन्तोषजनक दर्ज किया गया। काई वर्ग का मान 66.51 दर्ज किया गया जो विषय की महत्ता को दर्शाता है। हिन्दी विषय में लगभग 58 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानसिक बुद्धि स्तर उत्तम पाया गया जबकि लगभग 40 प्रतिशत विद्यार्थियों का हिन्दी विषय में मानसिक बुद्धि स्तर सन्तोषजनक था। काई वर्ग का मान 68.68 पाया गया जो विषय की महत्ता को दर्शाता है। आधे से अधिक विद्यार्थियों का अंग्रेजी विषय में मानसिक बुद्धि स्तर उत्तम दर्ज किया गया जबकि लगभग 42 प्रतिशत विद्यार्थियों का अंग्रेजी विषय में मानसिक बुद्धि स्तर सन्तोषजनक पाया गया। काई वर्ग मान 88 दर्ज किया गया जो विषय की महत्ता को दर्शाता है। लगभग 39 प्रतिशत विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान विषय में मानसिक बुद्धि स्तर उत्तम पाया गया जबकि लगभग 58 प्रतिशत विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान विषय में मानसिक बुद्धि स्तर सन्तोषजनक पाया गया। काई वर्ग का मान 57.67 दर्ज किया गया जो विषय की महत्ता को दर्शाता है। अधिकांश विद्यार्थी विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, अध्यापकों के व्यवहार, शिक्षण विधि, शिक्षण तथा प्रबन्धन, अनुशासन, गर्म, पौष्टिक

तथा पके हुए नियमित भोजन से पूर्ण सन्तुष्ट पाये गये जबकि लगभग आधे विद्यार्थी विद्यालयों में पेयजल सुविधा तथा विद्यालय भवन से पूर्ण सन्तुष्ट पाये गये। बड़े अनुपात में विद्यार्थी साफ-सफाई, मेडिकल चेकअप, फर्नीचर तथा बैठने की व्यवस्था से असन्तुष्ट पाये गये।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का मानसिक बुद्धि स्तर अपेक्षाकृत अधिक उत्तम व उत्कृष्ट है जबकि विद्यार्थियों का मानसिक बुद्धि स्तर गणित, हिन्दी, अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान में तुलनात्मक रूप से सन्तोषजनक व उत्तम पाया गया। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर मिली तथा अधिकांश विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्कूल ड्रेस व बैग मिला है। विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी सन्तुष्ट व आंशिक रूप से सन्तुष्ट पाये गये। उन्हें नैतिक शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती हैं। अधिकांश विद्यार्थी अपना होम वर्क समय से करते हैं, वे अभिभावकों को घरेलू कार्यों में मदद करते हैं तथापि विद्यार्थियों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभाग लेने हेतु अवसर कम मिलते हैं।

सन्दर्भ—

1. मेंहदी, एस0 (1979) : “बड़ौदा नगर में महानगर पालिका द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों तथा निजी अभिकरणों द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक एवं उनमें उपलब्ध शिक्षण एवं अनुदेशन की सुविधाओं का अध्ययन” शोध प्रबन्ध, बड़ौदा विश्वविद्यालय, बड़ौदा।
2. गुप्ता, एस0 पी0 (1980) : “प्राथमिक विद्यालयों में अनामांकन, अनुपस्थिति की ड्रापआउट की स्थिति एवं कारण ” शोध प्रबंध, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ।
3. कपाड़िया, के0 पी0 (1984) : “स्वतंत्रताके पश्चात (1947 से 1980 तक) गुजरात राज्य के प्राथमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन” शोध प्रबन्ध, गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।
4. पुष्प, रश्मि (1997) : “प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का उनके अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में अध्ययन” लखनऊ विश्वविद्यालय
5. बोरा, सुनीता रानी (2000) : “प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों पठन आदत को विकसित करने में शिक्षण तथा अधिगम सामग्री की पहचान करना” शोध प्रबन्ध, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. शिखा (2002) : “ सीतापुर के प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि” लघु शोध प्रबन्ध, एम0 एड0 पाठ्यक्रम लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।

7. कटियार, प्रीति (2005) : 'प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के पठन कौशल, लेखन कौशल तथा गणित विषय में गणितीय कौशल का अध्ययन' लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।